

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 698
दिनांक 6 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

केन्द्रीयकृत पहुंच नियंत्रण पद्धति

698. श्री श्रीधर कोटागिरी:
श्री मंगुटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:
श्री एन. रेड्डप्प:
श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों पर सुरक्षा बढ़ाने और व्यापार करने को सुगम बनाने हेतु बायोमीट्रिक समर्पित केन्द्रीयकृत पहुंच नियंत्रण पद्धति (सीएसीएस) और ई-बीसीएस परियोजना प्रशिक्षण माड्यूल आरंभ किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या इस पहल से व्यापार करने में सुगमता होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

- (क): जी हां। हवाईअड्डों पर कारोबार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए और सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीयकृत पहुंच नियंत्रण प्रणाली (सीएसीएस) और ई-बीसीएस प्रशिक्षण माड्यूल परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।
- (ख): सीएसीएस परियोजना बायोमीट्रिक युक्त स्मार्ट कार्ड आधारित हवाईअड्डा प्रवेश परमिट (एईपी) जारी करने के लिए है और रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिटी (आरएफआईडी) आधारित स्वचालित वाहन प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, कर्मचारियों/स्टाफ और हवाईअड्डे के वाहनों को टर्मिनल, जोन और गेट के अनुसार सुरक्षित और विनियमित प्रवेश कराने के लिए है। ई-बीसीएस प्रशिक्षण माड्यूल, स्टेकधारकों को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन हेतु पोर्टल पर अपना नाम पंजीकृत करने के लिए है।
- (ग): जी हां। सीएसीएस और ई-बीसीएस प्रशिक्षण माड्यूल परियोजनाएं निम्नलिखित तरीके से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देती हैं:
- सीएसीएस परियोजना में एईपी के आवेदन को डिजिटल किए जाने की परिकल्पना की गई है और इससे मानवीय इंटरफेस में कमी आएगी।
 - प्रशिक्षण के लिए नामांकन, अनुमोदन, परिणामों की घोषणा और प्रमाणपत्रों को निकालने की प्रक्रिया को ई-बीसीएस प्रशिक्षण माड्यूल के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संसाधित किया जाता है।